न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज॰)

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस)

प्रकरण सं0 01/2016

दायर दिनांक:–29.01.2016
फैसल दिनांक:–28.03.2018

श्री कमलाशंकर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मोदर तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर

प्रार्थी....

बनाम

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर

अप्रार्थी....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत

उपस्थित–1. वकील प्रार्थी – श्री मुकेश भट्ट, एडवोकेट
2. वकील विपक्षी – प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, राजकीय पैरोकार

– निर्णय –

यह अपील प्रार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षी इस आशय की पेश की है कि प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान ग्राम मोदर में होकर उनका प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 है। विपक्षी ने प्रार्थी के उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर अनियमितता पायी जाने पर प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 आदेश दिनांक 14.12.2015 को निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उक्त निरस्ती आदेश को अपास्त कराने हेतु अपील पेश की है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम मोदर में उचित मूल्य की दूकान का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 है तथा वह राशन का खाद्यान्न राशनधारियों को वितरण करता है। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसर अधिकारी डूंगरपुर द्वारा दिनांक 02.06.2015 को उक्त उचित मूल्य की दूकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उपभोक्ता सप्ताह में प्रार्थी द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया गया व निरीक्षण हेतु रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाने से प्राधिकार पत्र दिनांक 02.06.2015 द्वारा निलम्बित किया गया तत्पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर विभागीय प्रकरण संख्या 27/2015 निर्णय दिनांक 14.12.2015 द्वारा प्रार्थी का उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थी का अपील मीमो में नियमित रूप से राशन के गेहूँ, शक्कर व केरोसीन का राशनधारियों को वितरण करना बता उनके विरूद्ध किसी तरह की शिकायत नहीं होना जाहिर किया। प्रार्थी की पुत्री मजूला देवी की दिनांक 28.05.2015 को विवाह था, जिसके कारण राशन खाद्यान्न वितरण नहीं करने की सूचना राशनधारियों को संबंधित पंचो के माध्यम से दी गई थी। प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

तत्पश्चात् दिनांक 29.05.2015 से 02.06.2015 को विधिवत राशन वितरण करना बताया गया। प्रार्थी द्वारा अपील मीमों मे यह भी बताया कि कुछ लोग समय पर नहीं आ पाने से कुछ शक्कर व अन्य खाद्यान्न सामग्री गोदाम में रह गई हैं जिसका उनके द्वारा कोई दूरूपयोग नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा यह भी अपील में अंकित किया है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उनको किसी भी तरह से नहीं सुना एवं अपनी मन मरजी से कार्यवाही की गई हैं। प्रवर्तमान अधिकारी की टिप्पणी पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र 03/2005 दिनांक 14.12.2015 को निरस्त कर दिया गया जबकि प्रार्थी की राशन दूकान के राशन वितरण बाबत किसी प्रकार की कोई शिकायत ग्रामवासियों को नही हैं। प्रार्थी के पुत्री का विवाह दिनांक 28.05.2015 को होने तथा उस दौरान राशन वितरण न करने की सूचना राशनधारियों को दी जाने तथा तत्पश्चात् दिनांक 29.05.2015 से 02.06.2015 तक नियमित राशन वितरण करने से प्रार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं करने से जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उनका निरस्त किया गया प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 आदेश दिनांक 14.12.2015 को अपास्त कर प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 पुनः बहाल करने का वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किय गया। विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश न कर बहस में तथ्य प्रकट करने का अनुरोध कर इस प्रकरण से संबंधित उनके कार्यालय की मूल पत्रावली की छायाप्रतियां पेश की जो संलग्न पत्रावली हैं।

पत्रावली में पक्षकारों की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का राशनधारियों को समय पर वितरण करते हैं। प्रार्थी की पुत्री का दिनांक 28.05.2015 को विवाह होने से दिनांक 25.05.2015 से 30.05.2015 के मध्य राशन खाद्यान्न का वितरण नहीं कराया जा सका है। पुत्री का विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त दिनांक 29.05.2015 से 30.05.2015 व 01 से 02.06.2015 तक राशन सामग्री का राशनधारियों को वितरण कर दिया गया हैं। प्रार्थी की पुत्री के विवाह अवधि में राशन खाद्यान्न वितरण नहीं कराने की सूचना पंचों के मार्फत संबंधितों तक पहुंचाई जाने का वकील प्रार्थी ने कथन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रर्वतन अधिकारी द्वारा जांच की गई उस समय प्रार्थी को नहीं सुना तथा प्रवर्तन अधिकारी की टिप्पणी व शिकायत के अनुसार उनका प्राधिकार पत्र निरस्त करना न्यायोचित नहीं हैं। प्रार्थी को बिना सुने ही उनका प्राधिकार पत्र निरस्त करना नियमों के विपरीत हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रार्थी का अधिकार पत्र 03/2005 निरस्ती आदेश दिनांक 14.12.2015 को अपास्त करने का वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

विभागीय पैरोकार ने बहस में बताया की प्रार्थी का ग्राम मोदर की उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 हैं। प्रवर्तन अधिकारी ने जांच के दौरान पाया गया कि राशनधारक उपभोक्ताओं यथा बाबू पिता सना, चिमन पिता रामा, विश्राम पिता कालू व जीवा पिता लक्सी को गेहूं वितरण में अनियमितता की गई है। जिसमें उक्त राशनधारियों को या तो उचित मात्रा में गेहूं नहीं दिये गये अथवा गेहूं दिये ही नहीं गये हैं, जबकि वितरण रजिस्टर में इनके खाद्यान्न वितरण का पूर्ण इन्द्राज किया गया हैं तथा इनके राशन कार्ड में गेहूं वितरण का इन्द्राज नहीं पाया गया हैं। इस प्रकार कुल 90 कि.ग्रा. गेहूं का डीलर द्वारा दुरूपयोग किया गया है। प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न में वितरण में अनियमितता की जाने पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांक 740–47 दिनांक 02.06.2015 द्वारा प्रार्थी का उक्त उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 को निलम्बित कर दिया गया। विभागीय पैराकार द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने के उपरान्त प्रार्थी ने वितरण रजिस्टर की दिनांक/माह में कांट–छांट कर खाद्यान्न का वितरण करने बाबत मूल वितरण रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। प्राधिकार पत्र निलम्बन के उपरान्त दिनांक/माह में कांट–छांट कर खाद्यान्न वितरण किया जाना प्रार्थी द्वारा अपराध कारित किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल हैं। प्रार्थी द्वारा अपने तथ्यों की पुष्टि में किसी प्रकार के नियमानुसार साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये हैं जिससे प्रार्थी पर आरोपित तथ्यों को गलत सिद्ध किया जा सके। विपक्षी का कथन है कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 28.05.2015 को होने से खाद्यान्न का वितरण समय पर नहीं किया जा सका हैं इस संबंध में प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में नियमानुसार पूर्व सूचना प्रस्तुत करनी चाहिये थी। उक्त तथ्यों के आधार पर विभागीय पैराकार ने प्रार्थी की अपील खारीज करने का अनुरोध किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मूल खाद्यान्न वितरण पंजिका का गहनता से अवलोकन किया गया।

पक्षकारों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का उचित मूल्य की दूकान का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 जिला रसद कार्यालय से जारी किया गया हैं। प्रार्थी की पुत्री का विवाह दिनांक 28.05.2015 को नियत था तो प्रार्थी को नियमानुसार विवाह अवधि में राशनधारकों को खाद्यान्न वितरण की असमर्थता बाबत सूचना जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को देनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा पुत्री के विवाह अवधि में राशन वितरण नही करने की सूचना जिला रसद अधिकारी को न देकर अपनी मनमानी की जाना दर्शाता हैं। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 दिनांक 02.06.2015 को निरस्त किया गया है तथा प्राधिकार पत्र दिनांक 14.12.2015 को निरस्त किया गया हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण में बरती गई अनियमितता बाबत नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवधि दी गई हैं। प्रार्थी द्वारा दौराने कार्यवाही पुख्ता प्रमाण

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

पेश नहीं करने उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा राशनधारियो के राशनकार्ड में अंकन न कर वितरण रजिस्टर में पूर्ण रूप से गेहू का इन्द्राज करना एवं मात्रा में कम गेहू दिये जाने अथवा नहीं दिया जाने के तथ्य जांच मे पाये गये, जो गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करने की श्रेणी मे आता है। उक्त उचित मूल्य की दूकान के मूल वितरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के उपरान्त निलम्बन काल में ही दिनांक/माह में कांट-छांट कर खाद्यान्न का वितरण किया है जो प्रार्थी की दूषित एवं आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। प्रार्थी का उक्त कृत्य राशन के गेहूं की कालाबाजारी करने हेतु की जाने को प्रकट करता हैं। प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रार्थी के उक्त उचित मूल्य की दूकान क प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की हैं। प्राधिकार पत्र संख्या 03/2005 के निरस्ती आदेश दिनांक 14.12.2015 को यथावत रखा जाने में हस्तक्षेप कराना उचित नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
डूंगरपुर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)